

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -02/2022-23

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)b

चैतन्य महतो बनाम रोहिदास महतो वगैरह

16.03.23

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता -

चैतन्य महतो पिता-स्व० रिझा महतो, ग्राम-नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-खेती।

क्रेता का नाम एवं पता -

1.रोहिदास महतो 2.भुनेश्वर महतो, 3.दिलेश्वर महतो पिता-स्व० विश्वनाथ महतो, 4.चम्पा देवी पति-नरोत्तम महतो सभी ग्राम-नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, जाति-कुर्मी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम -

श्री परमेश्वर महतो।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-28/05/2022 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत क्रेता 1.रोहिदास महतो 2.भुनेश्वर महतो, 3.दिलेश्वर महतो पिता-स्व० विश्वनाथ महतो, 4.चम्पा देवी पति-नरोत्तम महतो सभी ग्राम-नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी है:-

भूमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
नवाडीह	सोनाहातु/72	54	488	01 डी० चौहद्दी:- उ०-लखीचरण महतो। द०-घासीया महतो। पू०-घासीया महतो। प०-सनातन महतो।
			544	3.5 डी० चौहद्दी:- उ०-मोशमात शोनी। द०-घासीया महतो। पू०-मेनका महतो। प०-गुजरू महतो।

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राहे से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।


अंचल अधिकारी, राहे का पत्रांक-47(ii) दिनांक-10/02/2023 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

- (1) प्रस्तावित जमीन के खतियानी रैयत लखन महतो वो लखीचरण महतो वो गुजनू महतो वो लालदेव महतो वगैरह के नाम से दर्ज है।
- (2) खतियानी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध विक्रेता-क्रेता का है।
- (3) पंजी-II के अनुसार रैयत का नाम रिझा महतो है। तथा रैयत के पास रकबा-97.67 एकड़ भूमि है।
- (4) प्रस्तावित जमीन का मालगुजारी वर्ष 2016-17 तक वसूली गयी है।
- (5) जमाबंदी रैयत के साथ विक्रेता का संबंध पिता-पुत्र का है। तथा द०ख० सं०-1830/1985-86 के आधार जमाबंदी कायम है।
- (6) सर्वे खतियान के अनुसार प्रस्तावित जमीन का एमी किरम की है।
- (7) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास पर्याप्त भूमि बचती है।
- (8) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को आवश्यक घरेलु कार्य हेतु बिक्री कर रहे है।
- (9) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही जाति के है।
- (10) क्रेता एवं विक्रेता दोनो एक ही गांव एवं थाना के निवासी है।


उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राहे ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)b के तहत विक्रेता चैतन्य महतो पिता-स्व० रिझा महतो, ग्राम-नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-खेती, को क्रेता 1.रोहिदास महतो 2.भुनेश्वर महतो, 3.दिलेश्वर महतो पिता-स्व० विश्वनाथ महतो, 4.चम्पा देवी पति-नरोत्तम महतो सभी ग्राम-नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक-28/05/2022 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राहे के अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त वर्णित भूमि की विक्रेता चैतन्य महतो पिता-स्व० रिझा महतो, ग्राम-नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, झारखण्ड, जाति-कुर्मी, पेशा-खेती, को क्रेता 1. रोहिदास महतो 2.भुनेश्वर महतो, 3.दिलेश्वर महतो पिता-स्व० विश्वनाथ महतो, 4.चम्पा देवी पति-नरोत्तम महतो सभी ग्राम-नवाडीह, पो०-बी० नवाडीह, थाना-सोनाहातु, अंचल-राहे, जिला-राँची, जाति-कुर्मी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा-46(i)b के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।


 भूमि सुधार उप समाहर्ता।
 बुण्डू (राँची)

लेखापित एवं संशोधित।


 भूमि सुधार उप समाहर्ता।
 बुण्डू (राँची)